भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
02.04.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 5269 का उत्तर

राजस्थान में आरओबी के लिए निधि जारी न करना

5269. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के झुंझुनू जिले से गुजरने वाले राज्यीय राजमार्ग सं.-8 पर स्थित रेलवे क्रासिंग संख्या 265 पर रेलवे एवं राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आरओबी का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था;
(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे द्वारा अपने हिस्से की धनराशि जारी नहीं किए जाने के कारण उक्त कार्य को रोक दिया गया है;
(ग) यदि हां, तो रेलवे द्वारा उक्त निधि कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है; और
(घ) उक्त कार्य को पुनः कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ) : सीकर-लोहारू खंड पर समपार संख्या 265 के स्थान पर दो लेन वाले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का कार्य लागत साझा आधार पर स्वीकृत किया गया था।

यह कार्य राजस्थान सरकार (राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड) द्वारा एकल निकाय के आधार पर निष्पादित किया जा रहा है। दो लेन वाले ऊपरी सड़क पुल के लिए सामान्य व्यवस्था आरेखण को मंजूरी दे दी गई है। रेलवे द्वारा कार्य की प्रगति के अनुरूप धनराशि जारी की गई है।

इसके बाद, राजस्थान राज्य सरकार ने 2 लेन वाले ऊपरी सड़क पुल के बजाय 4 लेन का ऊपरी सड़क पुल का निर्माण करने की इच्छा व्यक्त की थी। रेलवे द्वारा 4 लेन के ऊपरी सड़क पुल के सामान्य व्यवस्था आरेखण को भी मंजूरी प्रदान की गई है। तदनुसार, राज्य सरकार से कार्य का संशोधित अनुमान प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। आरएसआरडीसी के दिनांक 20.03.2025 के पत्र के अनुसार, संशोधित अनुमान तैयार कर लिया गया है।

*****